FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0121 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 09/05/2026 17:44 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 07/05/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:43 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/05/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 09/05/2026 17:44:20 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 35 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** PARIWADI KI DUKAN, GRAM MANDWAPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHAUKAT KHAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GAFOOR KHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1971 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MANDWAPUR, KISHANGARH BAS, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MANDWAPUR, KISHANGARH BAS, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SANDEEP		पिता:VINOD KUMAR YADAV	1. LANGARWAS,KISHANGARH BAS,खैरथल-तिजारा,RAJASTHAN, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 05.05.2026 को वक्त करीब 12.30 पी.एम पर परिवादी श्री शौकत खां पुत्र श्री गफूर खान ग्राम मंदवापुर तहसील किशनगढ-बास जिला खैरथल तिजारा व उसका भाई उसमान खान व भतीजा सद्दाम खान पुत्र श्री रज्जाक खान ग्राम मंदवापुर तहसील किशनगढ-बास जिला खैरथल तिजारा ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र मन उप पुलिस अधीक्षक को इस आशय का पेश किया कि ''मैं शौकत खां मेव पुत्र श्री गफूर खा निवासी भंदवापुर तहसील किशनगढ-बास अलवर का रहने वाला हूं। आज दिनांक 05.05.2026 को सुबह 06 बजे हमारे ग्राम भंदवापुर में संदीप कुमार विजलैंस एईएन साहब व लाईनमैन संदीप कुमार आये और मेरे घर पर मैने लाईन से तार डाल रखा था कि फोटो करते वीसीआर भर ली व मेरे साथ ही मेरे भाई उसमान खां पुत्र गफूर खा व भतीजा सद्दाम खां के भी वीसीआर भर के ले गये। मैं घर पर नहीं था। फिर मैनें संदीप कुमार को वीसीआर के बारे में फोन किया। तो उसने मेरी वीसीआर नहीं भरने की एवज में 15-15 हजार रूपये मांगे और आगे चैक नहीं करेंगें और रूपये नहीं दिये तो तुम्हारी वीसीआर 75-75 हजार रूपये की भर देगे। हम अतः श्रीमान से निवेदन है की हम रिश्वत के 35 हजार रूपये (10 हजार मेरे व 25 हजार उसमान व सद्दाम के देना नहीं चहाते और संदीप कुमार को रंगे हाथ पकडवाना चाहते है।'' जिसका अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री शौकत खां व उसके भाई उस्मान खान एवं भतीजे सद्दाम खान को पढकर सुनाया जाकर दरियाफ्त की गई तो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि संदीप कुमार लाईनमैन से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है और ना ही पैसों का कोई उधार लेन-देन भी बकाया है। परिवादी शौकत खां ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अपने परिचित ईस्लाम खां निवासी लंगडबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल तिजारा द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के तथा भाई उस्मान खान व भतीजा सद्दाम खान के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया। उपस्थित परिवादी के भाई उस्मान खान व भतीजा सद्दाम खान ने बताया कि संदीप लाईनमैन शौकत से ही बातचीत करता है आगे की सारी कार्यवाही शौकत खां द्वारा की जावेगी। परिवादी श्री शौकत खां व उसके भाई उस्मान खान व भतीजा सद्दाम खान ने अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की छायाप्रति स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की। जिसको शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाने पर परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन कराने के लिए कहा तो परिवादी ने बताया कि संदीप कुमार लाईनमैन के पास जाकर मैं सत्यापन नही करा सकता हूं क्यूकि अभी वो विजिलेंस टीम के साथ चल रहा है उसने मुझसे कहा है कि मेरे से मोबाईल पर ही बात कर लेना। मैं अभी संदीप से मोबाईल पर बात कर रिश्वत मांग सत्यापन करा सकता हूं। वक्त करीब 1.00 पी.एम पर मन उप अधीक्षक ने श्री सुण्डाराम हैड कानि. को कक्ष में बुलाकर परिवादी गणों से परिचय कराया गया व कार्यवाही से अवगत कराया जाकर आलमारी से विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर को निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड सनडिस्क 16 जीबी डालकर चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई और कानि. को निर्देशित किया कि अभी परिवादी श्री शौकत खां आरोपी संदीप लाईनमैन से रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता करेंगे आपको उक्त वार्ता रिकार्ड करनी है। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक ने परिवादी श्री शौकत खां से उसके मोबाईल नं0 . से आरोपी संदीप लाईनमैन के मोबाईल नं0 पर कॉल करवाया और मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई तथा दोनो के मध्य हुई मोबाईल वार्ता को विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर में श्री सुण्डाराम हैड कानि0 से रिकार्ड करवाया गया। उक्त वार्ता के बाद फोन कट गया और तुरन्त ही आरोपी ने परिवादी के मोबाईल नं0 पर मोबाईल नं0 से वॉट्सअप कॉल आया उक्त नंम्बर को देखकर परिवादी ने मन उप अधीक्षक को बताया कि संदीप लाईनमैन का वॉट्सअप कॉल आ रहा है। परिवादी से फोन रिसीव कराकर स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई वार्ता अनुसार आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करना पाया गया, उक्त वार्ता को भी विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया। उक्त टेप रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता अनुसार आरोपी द्वारा परिवादी, परिवादी के भाई व भतीजे की वीसीआर नहीं भरने की एवज में 25000/-रूपये की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 3.20 पी.एम पर मांग सत्यापन वार्ता अनुसार आरोपी संदीप कुमार लाईनमैन द्वारा मांगी गई रिश्वती राशी के लिए कहा तो परिवादी ने बताया कि साहब मैं कल दिनांक 06.05.2026 को पैसे की व्यवस्था करके आपके कार्यालय में आ जाउंगा। इस पर परिवादी व उसके भाई व भतीजा को गोपनीयता की हिदायत देकर कार्यालय से रवाना

किया गया। तत्पश्चात दिनांक 06.05.2026 को वक्त करीब 3.30 पी.एम पर परिवादी श्री शौकत खां उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन पर ट्रेप कार्यवाही हेतु संदिग्ध आरोपी श्री संदीप कुमार लाईनमैन को दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि साहब पैसो की व्यवस्था नहीं बैठ पाई है। मैं कल पैसों की व्यवस्था कर दुंगा। तत्पश्चात गवाहान एसीबी कार्मिक श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 व श्री कपिल सोमवंशी, वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री शौकत खां के समक्ष परिवादी एवं आरोपी श्री संदीप कुमार लाईनमैन, विजीलेंस शाखा किशनगढ-बास, जिला खैरथल तिजारा के मध्य दिनांक 05.05.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय मोबाईल/वाट्सअप कॉल वार्ताओं के रिकॉर्डर में रिकार्डशुदा एसडी मैमोरी सनडिस्क 16 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 व 02 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखा था। कार्यालय की आलमारी में मेरी निगरानी व निर्देशन में रखवाये गये राजकीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले हुये एसडी मैमोरी कार्ड सहित को आज दिनांक 06.05.2026 को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया। जिसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री शौकत खां एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। परिवादी श्री शौकत खां ने रिकॉर्ड वार्ता में स्वयं की व आरोपी श्री संदीप कुमार लाईनमैन की होने की पहचान की गई। डिजिटल वॉईस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी SanDisk Cruzer Blade 16 GB के तैयार किये गये। एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 A3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री शौकत खां के हस्ताक्षर करवाकर, पेनड्राईव मार्क A1 A2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव सफेद कपडे की अलग-अलग थैलियों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A1 A2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड SanDisk 16 GB जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 05.05.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-1 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले एसडी मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड शुदा वार्तालाप की जो पेनड्राईव बनाई गई हैं उनमे किसी भी प्रकार की छेडछाड व कांट-छांट नही की गई है। उक्त पेनड्राइव व ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री कपिल सोमवंशी, वरिष्ठ सहायक से तैयार करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दिनांक 07.05.2026 को वक्त करीब 9.00 ए.एम पर परिवादी श्री शौकत खां उपस्थित कार्यालय आया । परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन पर ट्रेप कार्यवाही हेतु आरोपी श्री संदीप कुमार लाईनमैन को दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने साथ में लेकर आना बताया। तत्पश्चात वक्त करीब 9.10 ए.एम पर पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान श्री अंकित सिंह निर्वाण, सर्वेयर कार्यालय वरिष्ठ भू वैज्ञानिक, खनिज विभाग अलवर व श्री राकेश कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक कार्यालय खनिज विभाग अलवर हाजिर कार्यालय आये। परिवादी श्री शौकत खां का दोनों गवाहान से परिचत करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 05.05.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी से आरोपी श्री संदीप कुमार लाईनमैन द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के सम्बन्ध में करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 10.30 ए.एम पर गवाह श्री अंकित सिंह व श्री राकेश कुमार के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी शौकत खां पुत्र श्री गफूर खान जाति मेव निवासी मंदवापुर तहसील किशनगढ-बास जिला खैरथल तिजारा को आरोपी श्री संदीप कुमार, लाईनमैन, विजीलेंस शाखा किशनगढ-बास जिला खैरथल तिजारा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने भारतीय चलनमुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल राशी 25,000/- रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 25000/-रूपये के नोटो का विवरण फर्द अंकित करवाया गया। उपरोक्त पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया।उपरोक्त रिश्वत राशी मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता अनुसार संदिग्ध आरोपी को दी जानी है, उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोटो पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री रामसिंह कानि. 549 को कार्यालय कक्ष मे बुलाया जाकर कार्यालय की आलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवाई जाकर श्री रामसिंह कानि. से एक साफ अखबार कार्यालय की टेबिल पर बिछाकर उस अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकालकर सभी नोटो पर भलि भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी श्री शौकत खां की जामा तलाशी गवाह श्री

अंकित सिंह निर्वाण से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी, केवल उसका मोबाईल एवं स्वयं का पहचान पत्र ही रहने दिया गया, इसके बाद श्री रामसिंह कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोटो कुल 25000/- रूपये परिवादी के पहने हुये कुर्ते की बांयी साईड की जेब में श्री रामसिंह कानि. से रखवाये गये, तथा परिवादी को समझाईस की गई की अब वह इन पाऊड युक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही अपने पास से रिश्वत राशी निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मन उप अधीक्षक के मोबाईल फोन पर मिसकॉल/मैसेज कर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत के लेन देन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत दी गई। इसके बाद श्री रामसिंह कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी उसके पश्चात एक नये प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में श्री सुण्डाराम हैड कानि0 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री रामसिंह कानि. की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अंगुलियो व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री शौकत खां व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को अपने हाथो से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास एवं उक्त अखबार का जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि. के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आनेवाली शीशीया मय ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया, तथा परिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये तथा श्रीमती सुनीता महिला हैड कानि. को परिचय पत्र व मोबाईल के अतिरिक्त कुछ भी अपने पास नहीं रखने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी का 16 जीबी को डालकर, खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकॉर्डर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर सुपुर्द किया गया तथा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को हिदायत दी गई की परिवादी को आरोपी के पास रवाना करने से पूर्व विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालुकर सुपुर्द करे।श्री रामसिंह कानि. को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 11.30 ए.एम मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, रामजीत कानि. 206, दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री अंकित सिंह व श्री राकेश कुमार, श्री भीम सिंह कानि. 192, श्री भास्कर हैड कानि. 59, श्री कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक के मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर व विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान सामग्री के साथ सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेश चन्द व एक प्राईवेट वाहन तथा परिवादी श्री शौकत खां व श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकिल से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब किशनगढबास/मंदवापुर के लिये रवाना हुआ। श्री रामसिंह कानि. 549 को बाद हिदायत चौकी पर छोडा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 12.45 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा रवानाशुदा परिवादी के गांव मंदवापुर परिवादी के घर पहूंचे जहां वाहनो को परिवादी के मकान के अन्दर खडा करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर परिवादी के मकान की बैठक में मुकिम होकर संदिग्ध आरोपी श्री संदीप कुमार लाईनमैन के आने का इंतजार करने लगे। तत्पश्चात वक्त करीब 3.30 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी ने बताया कि लाईनमैन का फोन आया है वह बाहर दुकान पर बुला रहा है। जिस पर डिजिटल टेपरिकॉर्ड श्री सुण्डाराम हैड कानि. से चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर आरोपी श्री संदीप कुमार लाईनमैन के पास परिवादी के मकान के सामने बनी दुकान पर रवाना किया परिवादी के पीछे पीछे मन् उप पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान व बाकी स्टाफ सदस्य भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये दुकानों के आस पास परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शौकत खां ने वक्त करीब 3.44 पी.एम पर मन उप अधीक्षक के मोबाईल पर अपने मोबाईल से मिस कॉल कर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक, परिवादी से प्राप्त ईशारे के बारे में दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम सदस्यो को अवगत करवाया जाकर उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर उक्त परिवादी की ग्राम मंदवापुर स्थित मोबाईल की दुकान के सामने पहूंचकर उक्त दुकान के गेट पर लगे कांच के दरवाजे को खोलकर अन्दर प्रवेश किया तो परिवादी व एक व्यक्ति प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुये मिले जहां परिवादी से विभागीय

डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर मन उप अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रख लिया और परिवादी ने दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यो के सामने प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की ये ही संदीप लाईनमैन है जिन्होने अभी अभी मेरी व मेरे भाई उसमान की पुत्रवधू श्रीमती रूकसार व भतीजे सद्दाम की वीसीआर नही भरने व आगे से चैकिगं नही करने की एवज में मुझसे पैसे मांगने पर मैने मेरी जेब से पाउडर युक्त 25000/-रूपये की रिश्वत राशि दी तो इन्होने अपने दाहिने हाथ में ले लिये मैने इनको गिन कर सम्भालने के लिये कहा परन्तु इन्होने बिना गिने ही अपनी पहनी जिन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रख लिये जो अभी इनकी जेब में ही रखे हुये हे। इस पर मन उप अधीक्षक ने उक्त प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उसे आने का मन्तव्य बताकर उसका नाम पता पूछा तो उक्त ने अपना नाम संदीप पुत्र श्री विनोद कुमार जाति यादव उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट लगंङबास थाना व तहसील किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा हाल हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष आरोपी श्री संदीप हाल हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण से परिवादी से अभी ली गई रिश्वत राशि किस काम के लिये ली और अभी कहां है के बारे में पूछा तो आरोपी श्री संदीप हाल हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण ने बताया की मेरे दोस्त अंग्रेज के घर में शादी थी मैने उक्त शादी में पैसो की आवश्यकता होने पर श्री शौकत खां से शादी में मदद के लिये 25000/-रूपये लिये है। इनके भाई उसमान की पुत्रवधू श्रीमती रूकसार के विधुत कनेक्शन पर श्री सुमित जेईएन साहब ने वीसीआर भरी थी। मेरे पास ये लोग आये थे और वीसीआर भरी राशि को कम करवाने की बातचीत की थी तो मैने इनसे कह दिया था की आज कल वीसीआर ऑनलाईन है मै आपकी कोई मदद नही कर सकता। मैने इनसे कोई रिश्वत ना मांगी और ना ही ली है। इस पर पास खडे परिवादी ने स्वत ही बताया की साहब ये झूठ बोल रहा है।दिनांक 5.05.2026 को सुबह 06 बजे हमारे ग्राम मंदवापुर में विजलैंस एईएन साहब व लाईनमैन संदीप कुमार आये और मेरे घर पर मैने लाईन से तार डाल रखा था कि फोटो करते वीसीआर भर ली व मेरे साथ ही मेरे भाई उसमान खां पुत्र गफूर खा व भतीजा सद्दाम खां के भी वीसीआर भर के ले गये। मैं घर पर नहीं था। फिर मैनें संदीप कुमार को वीसीआर के बारे में फोन किया। तो उसने मेरी वीसीआर नहीं भरने की एवज में 15-15 हजार रूपये मांगे और कहा की आगे चैक नहीं करेंगें और रूपये नहीं दिये तो तुम्हारी वीसीआर 75-75 हजार रूपये की भर देगे। इसके द्वारा मेरी व मेरे भाई की पुत्रवधू श्रीमती रूकसार व भतीजे सद्दाम की वीसीआर नही भरने की एवजं मे इनके द्वारा 35000/-रूपये की रिश्वत मांग करने पर मैने दिनांक 05.05.2026 को आपको इस संबंध शिकायत दी थी। जिस पर आप द्वारा दिनांक 05.05.2026 को जरिये मोबाईल सत्यापन करवाया जाने पर श्री संदीप लाईन मैन ने मुझसे रिश्वत मांग सत्यापन के समय मेरे भतीजे सद्दाम व मेरे भाई की पुत्रवधू रूकसार के नाम घरेलू कनेक्शन की वीसीआर नही भरने की एवजं 25000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई। इसके बाद आज आप के साथ मेरे गांव मंदवापुर मेरे घर पर आया और थोडी देर पहले ही संदीप लाईनमैन का फोन मेरे पास आया और मुझसे पैसो के लिये कहा तो मैने इनसे कहा आप मेरी दुकान पर ही आ जाओ और अभी थोडी देर पहले ये मेरी दुकान पर आ गया और मै अभी आपके निर्देशानुसार मेरी दुकान पर जाकर इनसे मिला हमारे काम के बारे में बातचीत की और मुझसे कहा पैसे लेकर आ जा इस पर मैने अपने पास से पाउडर युक्त नोट निकालकर दिये तो इसने अपने दाहिने हाथ में लेकर बिना गिने ही अपनी पहनी हुई जिन्स की सामने की दाहिनी जेब में रख लिये और मैने आपको मेरे मोबाईल से मिस कॉल कर ईशारा कर दिया और आप आ गये। इसके बाद पुनः आरोपी संदीप हैल्पर से पूछा गया तो आरोपी चुप हो गया और कुछ नही बोला। तत्पश्चात ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों को निकालकर परिवादी की उक्त दुकान पर रखी हुई पानी की बोतल से उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री संदीप हैल्पर के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-1, R-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री संदीप हैल्पर के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गैदमेला हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L-1, L-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी संदीप हैल्पर प्रथम की पहनी हुई पेन्ट की जेब की तलाशी गवाह श्री राकेश कुमार से लिवाई गई तो आरोपी की उक्त जेब में 500-500 के कुछ नोट बताया जिन्हे गवाह से बाहर निकलवाकर कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी मे अंकित नम्बरो से दोनो गवाहान से मिलान करवाया गया तो उक्त बरामदशुदा नोट मुताबिक फर्द पेशकशी के 500- 500 के 50 नोट कुल 25000/-रूपये नम्बरी नोट होना पाये गये।

जिने गवाह श्री राकेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात मौके पर स्थानीय लोगो की भीडभाड होने पर कार्यवाही बाधित होने के कारण एवं लाईट/विधुत की माकूल व्यवस्था नही होने से मौके से अब तक की कार्यवाही में जप्तशुदा समस्त आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स मय अनुसंधान सामग्री तथा मय निरूद्धशुदा आरोपी श्री संदीप हैल्पर मय दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो के परिवादी की दुकान से साथ लाये गये वाहनो एवं आरोपी की मोटरसाईकिल को हमराह लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिशाषी अभियंता किशनगढ बास के कार्यालय के लिये रवाना हुआ। उपरोक्त रवानाशुदा कार्यालय अधिशाषी अभियंता किशनगढ बास पहूंचे वाहनो को कार्यालय परिसर में खडा करवाया जाकर निरूद्धशुदा आरोपी एवं दोनो गवाहना व ट्रेप पार्टी के सदस्यो को वाहनो से उतराकर अधिशाषी अभियंता के कक्ष में पहूंचे जहां पर श्री रामरतन बैरवा अधिशाषी अभियंता को कार्यवाही से अवगत करवाकर उक्त कार्यालय के कमरा नम्बर 03 में पहूंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। इसके बाद गवाह श्री राकेश कुमार के पास बरामदशुदा रिश्वत राशि रखवाई गई को पेश करने की कहने पर श्री राकेश कुमार ने अपने पास से निकालकर पेश की। उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25000/- रूपये के नोटो की रिश्वत राशि को एक सफेद कपडे के साथ नत्थीकर शील मोहर कर उक्त कपडे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क TM अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी की जामा तलाशी गवाह श्री राकेश कुमार से लिवाई गई तो आरोपी की पेन्ट की बाई जेब में 5930/रूपये नगद राशि व एक मोबाईल फोन मिला जो एप्पल आई फोन 13 है, जिसमें जिओ कम्पनी की सिम नम्बर है। उक्त नम्बर से दिनांक 05.05.2026 को परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता की गई है। जिसको पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जावेगा। जिनको गवाह श्री राकेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद बाजार से नया लोवर मंगवाया जाकर उक्त कार्यालय में बने अन्य कक्ष में दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री संदीप हैल्पर के बदन पर पहनी हुई जिन्स पेन्ट बरंग ग्रे को शिष्टाचार पूर्वक उतरवाई जाकर लोवर पहनाया गया। तत्पश्चात उक्त पेन्ट की सामने की दाहिने जेब जिसमें आरोपी ने परिवादी से 25000/-रूपये की रिश्वत राशि लेकर रखी थी को एक नये पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उसे पानी से साफ करवाकर उक्त कमरे में रखी पानी की बोतल से पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल रंगहीन रहा, उक्त घोल में आरोपी श्री संदीप हैल्पर के बदन से उतरवाई गई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई है,को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो धौवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे देखकर सभी ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धौवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा आधा भरवाकर शीशियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1, P-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी के बदन से उतरवाई गई पेन्ट बगल की दाहिनी जेब जिसे उल्टाकर धौवन लिया गया है, उक्त जेब को सुखाकर उक्त जेब पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे थैली में रखकर सील मोहर का उक्त थैली पर सभी संबधितो के हस्ताकर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही में रिश्वत लेन देन के वक्त हुई रूबरू वार्तालाप विभागीय रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है जिसे चालू कर सुना गया तो रिश्वत लेन देने की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई रिकॉर्डर को बंद कर सुरिक्षत ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही की विडियो ग्राफी कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन में 16 जी.बी.सैनडिक्स कम्पनी का एस.डी कार्ड लगवाया जाकर श्री भीम सिंह कानि से करवाई गई। इसके बाद आरोपी श्री संदीप हैल्पर से परिवादी श्री शौकत खां से संबंधित वीसीआर के बारे मे पूछा तो परिवादी से संबंधित वीसीआर जेईएन/एईएन कार्यालय में होना बताया। उक्त वीसीआर के लिये उपस्थित कनिष्ठ अभियंता किशनगढबास ग्रामीण श्री रणवीर कुमार रवि को पेश करने की कहने पर जरिये पत्रांक 401 दिनांक 07.05.2026 से प्रमाणित प्रति पेश की गई। उक्त पेशशुदा रिकॉर्ड का अवलोकन कर शामिल कार्यवाही किय गया। तत्पश्चात वक्त करीब 6.10 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो गवाहान के समक्ष श्री संदीप पुत्र श्री विनोद कुमार जाति यादव उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट लगंङबास थाना व तहसील किशनगढ-बास जिला खैरथल तिजारा हाल हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण, जिला खैरथल तिजारा को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत कारित किया जाने पर आरोपी के कृत्य के क्रम में बीएनएसएस 2023 में प्रावधानो के अनुसार गिरफतारी के आधार के क्रम मे नोटिस जारी किया जाकर एक प्रति आरोपी श्री संदीप, हैल्पर प्रथम, फिडर आन्धाका, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण, जिला खैरथल तिजारा को देकर हस्ताक्षर करवा कर सूचित किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 6.30 पी.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री शौकत खान एवं आरोपी श्री संदीप, हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण, जिला खैरथल तिजारा के मध्य दिनांक 07.05.2026 को रिश्वत लेन देन के समय हुई रूबरू वार्ताओ के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे सैनडिस्क 16 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर वार्ता के मुख्य अंश सुनकर अपने पास रखा था, को विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया। जिसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई।उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री शौकत खां एवं आरोपी श्री संदीप, हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण, जिला खैरथल तिजारा की आवाज की

पहचान परिवादी द्वारा की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk Cruzer Blade 16GB अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले SanDisk 16GB मैमोरी कार्ड के रिकॉर्डिंग फाईल के फोल्डर 01 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री कपिल सोमवंशी से मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B1 B2 B3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर, एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। पेनड्राईव मार्क B1 B2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B1 B2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B3 को खुला रखा गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड SanDisk 16GB जिसमें वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 07.05.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-2 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 8.00 पी.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शौकत खां से आरोपी श्री संदीप, हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण, जिला खैरथल तिजारा द्वारा 25000/-रूपये रिश्वत प्राप्त करने पर परिवादी द्वारा निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशि एवं पेन्ट धुलाई की कार्यवाही शुरू की गई थी कार्यवाही के दौरान श्री भीम सिंह कानि. 192 द्वारा सरकारी मोबाईल में नया एसडी कार्ड SanDisk 16GB डालकर श्री भीम सिंह कानि. से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त मोबाईल से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लैपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लैपटॉप मे सेव करवाया गया, करवाई गई वीडियो ग्राफी की दो पेन ड्राईव सनडिस्क 16 जीबी के बारी बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लैपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर पेनड्राईव को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमशः V-1, V-2, अंकित कर पेन ड्राईव मार्क V-1, को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन ड्राईव मार्क V-2, को अनुसंधान हेतु अनशील्ड रखा गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 16GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल फोन से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर, उक्त कार्ड को एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील नम्बर 73 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। तत्पश्चात वक्त करीब 8.30 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष एवं आरोपी श्री संदीप पुत्र श्री विनोद कुमार जाति यादव उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट लगंड़बास थाना व तहसील किशनगढ-बास जिला खैरथल तिजारा हाल हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण, जिला खैरथल तिजारा को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार दी गई। तत्पश्चात वक्त करीब 9.15 पी.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शौकत खां से आरोपी श्री संदीप, हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण, जिला खैरथल तिजारा द्वारा दिनांक 05.05.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी श्री शौकत खां व आरोपी संदीप हैल्पर प्रथम के मध्य वॉट्सअप कॉल पर हुई वार्ता को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने मोबाईल फोन से परिवादी के मोबाईल की रनिंग स्क्रीन की वीडियोग्राफी की गई जो मन उप अधीक्षक के मोबाईल फोन की मैमोरी में रिकॉर्ड है। उक्त मोबाईल से लैपटॉप से कनैक्ट कर उक्त विडियो को लैपटॉप मे सेव करवाया गया, की गई वीडियो ग्राफी की दो पेन ड्राईव सनडिस्क 16 जीबी के बारी बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लैपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर पेनड्राईव को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमशः MV, MV-1, अंकित कर पेन ड्राईव मार्क डट को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन ड्राईव मार्क MV-1, को अनुसंधान हेतु अनशील्ड रखा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 9.40 पी.एम पर कार्यवाही मे वजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास सील नम्बर 73 को श्री सुण्डाराम हैड कानि 02

जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समस्त ट्रेप कार्यवाही के पश्चात परिवादी श्री शौकत खां को बाद कार्यवाही कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढबास से उसके निवास के लिए रूखस्त किया गया। वक्त करीब 10.00 पी.एम मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री भास्कर हैड कानि. 59, श्री रामजीत सिंह कानि. 206, श्री भीम सिंह कानि. 192 व श्री कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक, दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री संदीप, हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण, जिला खैरथल तिजारा को साथ लेकर हमराह साथ लाये वाहनों से कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढबास से अलवर के लिए रवाना हुआ। वक्त करीब 11.10 पी.एम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री रामजीत सिंह कानि. 206, भास्कर हैड कानि. 02, भीम सिंह कानि. 192 व दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा आरोपी श्री संदीप, हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण, जिला खैरथल तिजारा के कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढबास से रवाना होकर आरोपी के स्वास्थय परीक्षण हेतु राजीव गांधी चिकित्सालय अलवर पहूंच जरिये तहरीर आरोपी का स्वास्थय परीक्षण करवाया गया, रिपोर्ट प्राप्त की जाकर राजीव गांधी चिकित्सालय अलवर से रवारा होकर पुलिस थाना शिवाजी पार्क पहूंच जरिये तहरीर आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना शिवाजी पार्क की हवालात में दाखिल करवाया जाकर नकल रपट रोजनामचा आम प्राप्त कर पुलिस थाने से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंच जप्तशुदा एवं शील्डशुदा समस्त आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स के कार्यालय में रखा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 11.20 पी.एम पर गवाह श्री अंकित सिंह निर्वाण, सर्वेयर कार्यालय वरिष्ठ भू वैज्ञानिक, खनिज विभाग अलवर व श्री राकेश कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक कार्यालय खनिज विभाग अलवर को बाद कार्यवाही एसीबी चौकी अलवर से जाय तैनाती/निवास के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 11.30 पी.एम पर कार्यवाही में जप्त/शील्डशुदा समस्त वजह सबूत माल/आर्टिकल को मालाखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 के मार्फत चौकी हाजा के मालखाना में दुरूस्त हालत मे जमा करवाया गया।   अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से दिनांक 05.05.2026 को परिवादी श्री शौकत खां की लिखित रिपोर्ट पर दिनांक 07.05.2026 पर आयोजित की गई ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री संदीप पुत्र श्री विनोद कुमार जाति यादव उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट लगंडबास थाना व तहसील किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा हाल हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण द्वारा अपने वैध पारिश्रम के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी से उसकें व उसके भाई की पुत्रवधू श्रीमती रूकसार तथा भतीजे सद्दाम के घरेलू कनेक्शन की दिनांक 05.05.2026 को फोटू खेचना एवं उक्त कनेक्शनो पर वीसीआर नही भरने और भविष्य में चैक नही करने की एवजं में आरोपी द्वारा 35000/-रूपये की रिश्वत मांग करने पर परिवादी द्वारा दिनांक 05.05.2026 को इस संबंध में ब्यूरो को शिकायत देने पर एसीबी अलवर द्वारा दिनांक 05.05.2026 को जरिये मोबाईल फोन/वाट्सअप कॉल से आरोपी संदीप हैल्पर से सत्यापन करवाया जाने पर आरोपी संदीप हैल्पर द्वारा परिवादी व उनके परिजनो की वीसीआर नही भरने लिये 25000/-रूपये की मांग करना एवं उक्त मांग के अनुसरण मे दिनांक 07.05.2026 को 25000/-रूपये की रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त कर व ग्रहण की गई व उक्त ग्रहण की गई रिश्वत राशि आरोपी के कब्जे से बरामद होने आरोपी को रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।   अतः आरोपी श्री संदीप पुत्र श्री विनोद कुमार जाति यादव उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट लगंडबास थाना व तहसील किशनगढ-बास जिला खैरथल तिजारा हाल हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण, जिला खैरथल तिजारा का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है। भवदीय (शब्बीर खान)उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम, अलवर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री संदीप पुत्र श्री विनोद कुमार जाति यादव उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट लगंडबास थाना व तहसील किशनगढ-बास जिला खैरथल तिजारा हाल हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण, जिला खैरथल तिजारा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 776 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 765-68 दिनांक 09.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन

न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- सहायक अभियन्ता, जेवीवीएनएल, किशनगढबास जिला खैरथल तिजारा 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/05/2026 17:46:30

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)